न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारीः— श्री कन्हैयालाल स्वामी, आई.ए.एस.

गौ वंशीय अपील संख्या 01/2026

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
ओमप्रकाश पुत्र पांचाराम मेघवाल, निवासी— खारिया तला, तहसील बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

अपील अंतर्गत धारा 05 (7)
गौ वंश (वध प्रतिशेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम, 1995

उपस्थितिः—
1. अपीलार्थी की ओर से श्री रेखाराम चौधरी, विद्वान अधिवक्ता।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक २०मई, 2026

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने उनके समक्ष प्रस्तुत हुए विविध आवेदन अन्तर्गत धारा 05 (2) राज0 गौ वंशीय पशु अधिनियम, 1995 संख्या 01/2026 अनवान ओमप्रकाश पुत्र पांचाराम बनाम तहसीलदार, बाड़मेर को अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2026 के द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट के द्वारा यह अपील दिनांक 14.01.2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह कथन किया कि उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम खारिया तला से सूर्य पुत्र शनिदेव सेवा समिति गौशाला, रामगढ जिला जैसलमेर में साण्ड, बैल, बछडे, गाय इत्यादि छोड़ने के उद्धेश्य से परिवहन की अनुमति प्रदान की जावें परन्तु जिला कलेक्टर बाड़मेर के द्वारा उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट एक गौ रक्षक होने के कारण सक्षम प्राधिकारी के यहॉ उक्त प्रकार की परिवहन की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन पेश किया था। अपीलान्ट को असामाजिक तत्वों के झूठे मुकदमें फसने के डर से गोवंश की तस्करी, कूरता, असामाजिक अवरोध इत्यादि समस्याओं के निवारण के लिये परिवहन की अनुमति चाहता था। अपीलान्ट ने परिवहन के दौरान गौ वंश को किसी प्रकार की चोट, नुकसान, क्षति इत्यादि कारित नहीं की गई और न ही उक्त गौवंश को राजस्थान राज्य से बाहर ले गया। अपीलान्ट एक सेवाभावी नागरिक है तथा गौ वंश भक्त होने के नाते एवं गायों की सुरक्षा के लिये परिवहन की अनुमति चाहता था।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके आवेदन को गलत रूप से खारिज किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को अपने गांव खारिया तला से श्री सूर्य पुत्र शनिदेव सेवा समिति गौशाला रामगढ जिला जैसलमेर तक परिवहन करने की अनुमति प्रदान की जावें।

5. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि जिला कलेक्टर, बाडमेर अपीलान्ट के आवेदन पर तहसीलदार, बाड़मेर से रिपोर्ट तलब की गई थी तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के उक्त आवेदन को राज0 गौ वंशीय पशु (वध प्रतिशेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा धारा 05 (2) के प्रावधानों के अनुसार अपीलान्ट के द्वारा आवेदन में दर्शाये गये परिवहन के उद्धेश्य को विधि के अनुकूल नहीं होने के कारण यानि धारा 5(2) के तहत राजस्थान राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने हेतु अनुमति का प्रावधान होने से, उचित कारण का अभाव होने से अपने आदेश दिनांक 1.1.2026 को खारिज किया गया है जो यथावत रखा जावें एवं अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावें।

6. हमने उभय पक्षकारान की ओर से की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा प्रस्तुत अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये आवेदन को जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने राज0 गौ वंशीय पशु (वध प्रतिशेध और अस्थाई

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रवजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 5 (2)" Not with standing anything contained in sub- Section (1) temporary migration of bovine animal from the famine and scarcity affected areas of Rajasthan may be allowed by the Competent Authority to other State in India for grazing purposes tinder a valid permit in the manner prescribed and herein after laid down." के प्रावधानों में तहत नहीं आने से यानि राजस्थान राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने हेतु अनुमति का प्रावधान होने से एवं गौ वंश को परिवहन करने हेतु उचित कारण का अभाव होने से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट जो कि गौ वंशीय के परिवहन के वाहन का चालक है, न कि गौवंश को भेजने वाला या प्राप्त करने वाला व्यक्ति है जिसे ऐसा आवेदन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था न ही उक्त गौ वंश को उसके द्वारा किसी से खरीद किया जाकर ले जाने की अनुमति चाही गई है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

7. अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2026 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुना गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर